निगरानी प्रकरण क्र.– /2018

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इंदौर के समक्ष

PBR/निगरानी/बडवानी/भू.रा/2018/1406

पवन पिता गोकुलप्रसाद महाजन
उम्र– 50 वर्ष, धंधा– व्यापार
निवासी– ग्राम बरू फाटक तह. ठीकरी जिला बडवानी

...प्रार्थी

विरूद्ध

1. मुकेश पिता लक्ष्मणदास महाजन
   उम्र– 50 वर्ष, धंधा– व्यापार
   निवासी– ग्राम पीपरी तह. ठीकरी, जिला बडवानी

2. छाया देवी पति श्री मुकेश महाजन
   धंधा– कुछ नही
   निवासी– ग्राम पीपरी तह. ठीकरी, जिला बडवानी

3. चीफ डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर
   इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. इंदौर
   डिवीजनल आफिस इंडियन आइल भवन
   प्लाट नं. 159 एम.आर.–10 कुशाभाउ
   ठाकरे मार्ग इंदोर जिला इंदौर

...प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

इसमे प्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील ठीकरी जिला बडवानी द्वारा राजस्व प्रकरण क्र.0011/अ–70/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 01/02/2018 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारो पर निगरानी प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बडवानी/भू.रा./2018/1406

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
3-7-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को सुना गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार ठीकरी जिला बडवानी के आदेश दिनांक 1-2-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा तहसीलदार ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया है । 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जहां म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में कोई प्रावधान न हों, वहां व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जे का वाद प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने में प्रकरण में सबज्यूडिस की बाधा उत्पन्न करती है, जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर कार्यवाही स्थगित करना चाहिए थी, जिस पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं करने में कानूनी त्रुटि की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदक पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । 4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के सम्बन्ध में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में संलग्न सिविल वाद क्रमांक 13ए/2016 आदेश दिनांक 25-4-16 तथा सिविल अपील क्रमांक 11/2016 आदेश दिनांक 29-4-16 में स्पष्ट रूप से आवेदक का अनावेदक पक्ष की पक्ष पर कब्जा नहीं माना गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक पक्ष का संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं था। इस सम्बन्ध में 2018(1) आर.एन. 13 में इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित भी किया गया है । जब सिविल में निर्णय हो गया तो तहसील का यह कहना कि स्थगन नहीं है अर्थहीन है । उसे अपीलार्थी का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र स्वीकार करना था । उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है । अध्यक्ष	